भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 10/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2022

सा.का.नि.... (अ), केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात का समाधान होने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, , नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट है और जो कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उप शीर्ष या टैरिफ मद के क भीतर आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल को, वित्त अधिनियम, 2018 की छठी अनुसूची के साथ पठित धारा 112 के अधीन उस पर उद्ग्रहीत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करती है जितना वह उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से परिकलित रक्कम से अधिक है ।

सारणी

क्र.सं.	अध्याय या शीर्ष या उप शीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710	मोटर स्प्रिट, सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है	1 रुपया प्रति लीटर
2.	2710	हाई स्पीड डीज़ल ऑयल	1 रुपया प्रति लीटर

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात निर्यात के लिए क्लीयर किए गए माल से भिन्न अन्य किसी माल पर प्रवृत्त नहीं होगी ।

3. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी ।

[फाइल संख्या 354/15/2022-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानरे)
अवर सचिव, भारत सरकार